<u>न्यायालय : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम–2 बारां (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : **प्रमोद कुमार शर्मा** (डी0जे0 केडर)

(लिंक अधिकारी)

आपराधिक विविध सं0 : 174 / 2026 (सी.आई.एस. नंबर 374 / 2026)

सीएनआर नम्बर : RJBR010008952026

01. लोकेश पुत्र हंसराज उम्र 30 वर्ष निवासी जलोदा तेजाजी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां(राज0)

02. पवन कुमार पुत्र रामप्रसाद आयु 26 वर्ष निवासी जलोदा तेजाजी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां (राज.)

–प्रार्थीगण / अभियुक्तगण

:: बनाम ::

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, बारां (राज.) –अप्रार्थी / विपक्षी–

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.
एफ.आई.आर.नं. 41 / 2026 थाना मांगरोल जिला बारां
<u>अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 118(1), 117(2), 110, 109(1), 189(2) बी.एन.एस. 2023</u>

<u>उपस्थित</u> :–

1– श्री अजीत सिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से।

2– श्री मदनमोहन नागर, विद्वान अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।

––:: <u>आदेश</u> ::–– दिनांकः– **04.06.2026**

1. प्रार्थीगण / अभियुक्तगण **लोकेश व पवन कुमार** की ओर से धारा 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र **थाना मांगरोल** की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **41 / 2026** अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 118(1), 117(2), 110, 109(1), 189(2) बी.एन.एस. 2023 के संदर्भ में विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मांगरोल के लिंक अधिकारी द्वारा दिनांक 29.05.2026 को खारिज करने के उपरान्त, न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से यह प्रकरण वास्ते सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई। इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से उक्त जमानत प्रार्थना पत्र मुझ लिंक अधिकारी, अपर सेशन न्यायाधीश कम–1, बारां के समक्ष पेश हुआ। इससे पूर्व प्रार्थीगण / अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. दिनांक 16.03.2026 को इस न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में प्रस्तुत एस.बी.क्रिमि. जमानत

प्रार्थना पत्र सं0 4423/2026 दिनांक 10.04.2026 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा खारिज किया जा चुका है। संबंधित न्यायालय की पत्रावली पेश हुई।

2— प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क किये है कि प्रार्थीगण का अपराध से कोई संबंध नहीं है। उन्हें उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। पुलिस थाना मांगरोल द्वारा उक्त प्रकरण में तफ्तीश पूर्ण कर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध संबंधित न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मांगरोल में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। परिवादी राकेश व उसके सहयोगी के विरूद्ध पुलिस थाना मांगरोल में एफ.आई.आर. सं0 64 दिनांक 02.03.2026 को प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से उनकी बहन के द्वारा दर्ज करवाया गया है जिससे बचने के लिए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध यह झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है जिसके विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

3— इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुये एवं पूर्व में इस न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना—पत्र खारिज करने का निवेदन किया तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार से होना जाहिर किया :—

<u>अभियुक्त लोकेश</u> :—

क0 सं0	मुकदमा नंबर मय थाना	धारा	चालान नंबर मय दिनांक	वर्तमान स्थिति
01.	244/26.10.2013 मांगरोल	323,341,34 भा.दं.सं.	206/04.12.13	राजीनामा दिनांक 16.03.15 जे.एम.न्याया.मांगरोल
02.	54/2015 सीसवाली	332,353,34 भा.दं.सं. व 3 पी.पी.डी.एक्ट	51/29.04.15	दोषमुक्त दि. 18.10.24 न्याया. मांगरोल
03.	143/13.09.2017 सीसवाली	323,341 भा.दं.सं.	20/29.09.17	Settled by ADR दिनांक 14.05.22 न्याया.मांगरोल
04.	270/04.11.2018 मांगरोल	323,341,325,147,149 भा.दं.सं.	252/27.11.18	दोषमुक्त दि.09.06.25 न्याया. मांगरोल
05.	229/16.09.2020 इटावा कोटा ग्रामीण	323,341,325,34 भा.दं.सं.	208/29.09.20	पेंडिंग कोर्ट
06.	74/08.04.2023 सीसवाली	323,341,327 भा.दं.सं.	65/29.05.23	पेंडिंग कोर्ट
07.	50/24.02.2024 मांगरोल	323,341,504,527,34 भा.दं.सं.	47/31.03.24	पेंडिंग कोर्ट

<u>अभियुक्त पवन</u> :–

क0 सं0	मुकदमा नंबर मय थाना	धारा	चालान नंबर मय दिनांक	वर्तमान स्थिति
01.	229 / 16.09.2020 इटावा कोटा ग्रामीण	323,341,325,34 भा.दं.सं.	208 / 29.09.20	पेंडिंग कोर्ट

4– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा संबंधित न्यायालय से पत्रावली तलब कर अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में फरियादी / मजरूब राकेश ने अपने साथ प्रार्थीगण / अभियुक्तगण द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण मनोज, हंसराज, दिनेश, प्रमोद व कुलदीप के साथ मिलकर कुटिया व लकडी से मारपीट करने व मारपीट से उसके सिर में प्राणघातक चोटें कारित करने के संबंध में जैर इलाज पर्चा बयान दर्ज करवाया गया है, जिस पर प्रकरण अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 110, 189(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान पुलिस थाना मांगरोल द्वारा प्रार्थीगण / अभियुक्तगण लोकेश व पवन के विरूद्ध अपराध धारा 115(2), 126(2), 118(1), 117(2), 110, 109(1), 189(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के अंतर्गत आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में अन्य सहअभियुक्तगण मनोज, हंसराज, दिनेश, प्रमोद व कुलदीप के विरूद्ध धारा 193(9) बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत अनुसंधान पेंडिंग रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को उक्त गंभीर अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाना बताया गया है। प्रकरण के आहत राकेश का जो चोट प्रतिवेदन संलग्न पत्रावली है उसमें उसके शरीर पर कारित चोटों में से पांच चोटें गंभीर प्रकृति की होना बताया गया है साथ ही सभी चोटों का समेकित प्रभाव भी जीवन के लिए घातक हो सकने की राय दी गई है। प्रकरण में पूर्व में इस न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने के उपरांत प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण के पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे प्रार्थीगण / अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने का आधार उत्पन्न हो। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रकरण के समग्र तथ्यों व अन्य परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना इस स्तर पर प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह **द्वितीय** जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5– अतः प्रार्थीगण / अभियुक्तगण 01. **लोकेश** पुत्र हंसराज उम्र 30 वर्ष निवासी जलोदा तेजाजी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां (राज0) व 02. **पवन कुमार** पुत्र रामप्रसाद आयु 26 वर्ष निवासी जलोदा तेजाजी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां (राज.)

की ओर से प्रस्तुत यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार किया जाकर निरस्त किया जाता है।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–2, बारां (राज0)
(लिंक अधिकारी)

6– आदेश आज दिनांक **04.06.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया ।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–2, बारां (राज0)
(लिंक अधिकारी)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.04 18:03:18 IST